न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 32/2022

श्री अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मोहल्ला चुडीगरान पुरानी टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक
--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 01.08.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी,टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 13-06-2022 प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1 दिनांक 1.7.2020 से 10.6.2022 तक इस अंतराल में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशन कार्ड में नाम नही जोडने का आदेश दिया गया होतो उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।
2 दिनांक 1.7.2020 से 10.6.2022 तक इस अंतराल में जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा जेसे राशन कार्ड में नाम जोड गए होतो उनके नामों की सुची जैसे 1 ए.पी.एल. 2 स्टेट बी.पी.एल. 3 बी.पी.एल. 4 अंत्योदय राशन में जोडे गए नाम की सूची उपलब्ध कराई जाए प्रमाणित प्रतिलिपि देवे।
3 दिनांक 1.7.2020 से 10.6.2022 तक इस अंतराल में जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा नाम नही जोडे का कारण बताए जैसे 1 ए.पी.एल. 2 स्टेट बी.पी.एल. 3 बी.पी. एल. 4 अंत्योदय राशन में नाम नही जोडे का कारण बताये नियम अनुसार जानकारी दे संबधित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहता हुँ।
4 1.7.2020 से 10.6.2022 तक इस अंतराल में जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा केन्द सरकार एवं राज्य सरकार को राशन कार्ड मे नाम जोडने के लिय पत्र दिया गया होतो उस पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहता है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र क्रिमांक 736 दिनांक 20.07.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पत्र कमांकः 31 दिनांक 27-07-2022 से जवाब प्रेषित किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:30:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

दिनांक 07.07.2022 से सूचित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है । अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:30:02 IST
Reason: SelfAttested